



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact 0141-2973804, 2988946

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / परीक्षा / 2020 / 624

दिनांक: 8/07/2020

समस्त प्रधानाचार्य,
सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान,
राजस्थान।

विषय:- पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन रेडियेशन टेक्नोलोजी द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा सत्र 2016-17 के साथ सत्र 2015-16 की रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा जनवरी-2020 के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्त लेख है कि डिप्लोमा इन रेडियेशन टेक्नोलोजी के दिनांक 06.07.2020 को जारी परीक्षा परिणामों से सम्बन्धित पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2020 से 13.07.2020 तक स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र www.rpcraj.net पर उपलब्ध हैं।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन-पत्र ऑन-लाईन के दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

1. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर के नियम/विनियम के अनुसार होंगे।
2. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस हेतु वर्णित नियम व टिप्पणियों को बेवसाईट पर ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3. अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है अभ्यर्थी अपना परिणाम अपरिवर्तित मानते हुए तदनुसार आगे की कार्यवाही करें।
4. अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु थ्योरी के कुल प्रविष्ट पेपर्स के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स में ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग-अलग पेपर के रूप में गिनती की जायेगी। यदि किसी पेपर में दो सेक्शन है, उदाहरणार्थ:- सेक्शन-ए और सेक्शन-बी तो अभ्यर्थी चाहे सेक्शन-ए-अथवा सेक्शन-बी दोनों सेक्शन में पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जायेगा। यदि छात्र थ्योरी के कुल 05 पेपर्स में प्रविष्ट हुआ है तो नियमानुसार 2.5 पेपर्स में आवेदन करने योग्य है। अतः पेपर्स को R/o करते हुए 3 पेपर्स में आवेदन कर सकता है। फीस प्रति-उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
5. अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु थ्योरी पेपर्स में ही आवेदन कर सकता है, फीस प्रति-उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा है, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियायत सम्बन्धी नियम/विनियम के विपरीत देने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल बाध्य नहीं होगा।
7. छात्र ऑनलाईन भरे गये पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म की हार्डकॉपी (प्रिन्टेड प्रति) एवं ऑनलाईन भुगतान के बाद प्राप्त शुल्क की रसीद को अपने सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करवाएँ, जिससे कि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य समस्त प्राप्त ऑनलाईन-पत्रों को अपने महाविद्यालय में सुरक्षित रखते हुए आवेदन-पत्रों का ऑनलाईन सत्यापन कर सूची के प्रमाणित प्रिन्ट के साथ पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन की स्थिति में छात्र की मूल/ऑनलाईन अंकतालिका एवं यदि केवल पुनर्गणना हेतु आवेदन किया है, तो अंकतालिका की छायाप्रति ही संलग्न कर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को प्रेषित करेंगे। दस्तावेज के अभाव में भरा गया ऑनलाईन फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
8. यदि अभ्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिकाओं में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना भर देता है अथवा एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म भरकर ऑनलाईन शुल्क जमा करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के आवेदन की राशि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियम/विनियम-2015 के शेड्यूल 16 (11,12) निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति पेपर	500/-
2.	पुनर्गणना शुल्क प्रति पेपर	200/-

आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र/छात्राओं को आप अपने स्तर से सूचित करें कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा ऑनलाईन स्वीकार किये जा रहे हैं।

दिनांक 15.07.2020 तक पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की हार्ड प्रति कौंसिल कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 15.07.2020 के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की हार्ड प्रति स्वीकार नहीं की जावेगी।

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/परीक्षा/2020/824
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक
दिनांक: 8/07/2020

परीक्षा नियंत्रक